

**LEGISLATIVE ASSEMBLY**  
**NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

**Bulletin Part-I**

**(Brief summary of proceedings)**

**Friday, 29 November 2024 / 08 Agrahayan 1946 (*Saka*)**

**No. 73**

**11.16 AM**

**Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair**

***National Song (Vande Mataram)***

1. 11.18 AM The Chair welcomed the Members and requested them to maintain decorum during the sittings of the House.

2. 11.18 AM **Obituary References:**

The House paid homage to the following :

1. Demise of Shri Rattan Tata, Eminent Industrialist on 09/10/2024.
2. Armed Forces & Security Personnel and other people killed in various terrorist/naxalite attacks in Jammu & Kashmir and Chhattisgarh.
3. Persons killed in violence in Manipur.

The House observed two minutes silence as a mark of respect to the departed souls.

3. 11.22 AM **Ruling by the Chair :**

The Chair informed that Notices from Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition and other Members under Rule-54 (Calling Attention), Rule-55 (Short Duration Discussion) have been received. The Chair gave a ruling that no business other than the business listed for the day will be taken up for discussion.

The Chair further informed that as far as the Question Hour is concerned, it is necessary for the Members to give notice of the Questions at least 12 clear days in advance. After the issuance of the Notification of current Session, minimum stipulated period was not available. Apart from this, departments like Revenue, Home, Services, Land & Building, Delhi Police and DDA do not submit replies of the Questions, which undermines the dignity of the Questions Hour.

Members of Opposition Party were not satisfied with the Ruling of the Chair and demanded that Notice submitted by them be taken up for discussion.

4. 11.24 AM **Special Mention (Rule-280) :**

The Chair directed that the matters to be raised by the following Members under Rule-280 be *treated as read* :

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Shri Rajesh Rishi   | 6. Shri Bhupinder Singh Joon |
| 2. Shri Vijender Gupta | 7. Shri Jitender Mahajan     |
| 3. Shri Ajay Mahawar   | 8. Shri Jai Bhagwan          |
| 4. Smt. Bandana Kumari | 9. Shri Mohinder Goyal       |
| 5. Shri Jarnail Singh  | 10. Shri Om Prakash Sharma   |

11.24 AM : *Members of Opposition Party walked out in protest against the ruling of the Chair*

5. 11.25 AM **Papers laid on the Table :**

**Ms. Atishi, Hon'ble Chief Minister** laid copies of the following on the Table of the House :

- I. 9<sup>th</sup> Annual Report of Delhi Technological University for the year 2022-2023 (English Version).
- II. CAG Audit Report on Annual Accounts of Delhi Technological University for the year 2019-2020 & 2020-2021 along with Action Taken Report (Hindi & English Version).
- III. Annual Report of Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) for the year 2021-22 & 2022-23 (Hindi & English Version).
- IV. Notification No. F. 11(2086)/DERC/2022-23/C.F.No.7689/2430 dated 01/03/2024 regarding Delhi Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business for Holding Inquiry by Adjudicating Officer) Regulations, 2023 (Hindi and English Version).

- V. Notification No. F. F3(629)/Tariff-Engg./DERC/2020-21/6910/808 dated 02/08/2024 regarding Delhi Electricity Regulatory Commission (Net Metering for Renewable Energy)(First Amendment), Regulations, 2024 (Hindi and English Version).
- VI. Notification No. F. 17(293)/Engg/DERC/2021-22/7147/745 dated 25/07/2024 regarding Delhi Electricity Regulatory Commission (Compensation to Victims of Electrical Accidents) Regulations, 2024 (Hindi and English Version).
- VII. Notification No. F. 11(2203)/DERC/2023-24/8014/533 dated 24/06/2024 regarding Delhi Electricity Regulatory Commission (Guidelines for establishment of the Forum and the Ombudsman for redressal of grievances of Electricity Consumers) Regulations, 2024 (Hindi and English Version).
- VIII. Corrigendum No. F. 11(2203)/DERC/2023-24/8014/997 dated 03/09/2024 regarding Delhi Electricity Regulatory Commission (Guidelines for establishment of the Forum and the Ombudsman for redressal of grievances of Electricity Consumers) Regulations, 2024 (Hindi and English Version).
- IX. 20<sup>th</sup> Annual Report of Indraprastha Power Generation Company Limited (IPGCL) for the year 2020-21 (Hindi & English Version).
- X. 20<sup>th</sup> Annual Report of Pragati Power Corporation Limited (PPCL) for the year 2020-21 (Hindi & English Version).
- XI. Annual Report of Delhi Power Company Limited (DPCL) for the year 2019-20 & 2020-21 (Hindi & English Version).

6. 11.26 AM **Short Duration Discussion (Rule-55) :**

- I. **Shri Kuldeep Kumar, Hon'ble Member** initiated discussion on the *removal of Ten Thousand Bus Marshals, which has caused a threat to the safety of women in buses.*  
(11.33 AM : Members of Opposition Party came back in the House and resumed their seats one by one.)

The following Members participated in the Discussion:

- 1. Shri Sanjeev Jha
- 2. Shri Rajesh Gupta
- 3. Shri Abhay Verma
- 4. Smt. Preeti Jitender Tomar
- 5. Shri Somnath Bharti
- 6. Smt. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker
- 7. Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition

7. 01.07 PM **The Chair adjourned the House for Lunch-Break upto 2.00 PM.**

8. 02.10 PM **House reassembled.  
Hon'ble Speaker in-Chair.**

9. 02.10 PM **Short Duration Discussion (Rule-55) continued :**

- 8. Shri Saurabh Bharadwaj, Hon'ble Minister  
**Smt. Atishi, Hon'ble Chief Minister** replied to the discussion.

10. 03.05 PM **Short Duration Discussion (Rule-55) :**

- II. **Shri Ajay Dutt, Hon'ble Member** initiated discussion on the *shortage of personnel in Delhi Police and the increasing graph of crime due to the apathy of the Central Government towards the security of Delhi.*

The following Members participated in the Discussion:

- 1. Shri Jai Bhagwan
- 2. Shri Shiv Charan Goel
- 3. Shri Anil Kumar Bajpai
- 4. Smt. Bandana Kumari
- 5. Shri Bhupinder Singh Joon
- 6. Shri Satyendar Jain
- 7. Shri Manish Sisodia, Former Deputy Chief Minister
- 8. Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition

*4.14 PM : Members of the Ruling Party raised objection to the statement made by Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition.*

*Members of Opposition stood up and started shouting.*

*Exchange of arguments between Ruling Party and Opposition Party.*

*The Chair repeatedly requested Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition and other Members of Opposition Party to resume their seats.*

*However, the Members of Opposition continued to argue, refused to take their seats and continuously disturbed the proceedings of the House.*

*The Chair named Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition and directed the Marshals to escort him out of the House. Remaining Members of Opposition Party walked out of the House in protest.*

*Members of Ruling Party requested the Chair to expunge the statement of Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition from the proceedings of the House.*

*The Chair directed that the statement made by Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition be expunged from the proceedings of the House.*

9. Shri Arvind Kejriwal, Former Chief Minister

11. 04.33 PM The Chair informed the Hon'ble Members to assemble at the Assembly Lawns, near Dr. Bhim Rao Ambedkar Statue for group photograph of Hon'ble Members of the 7<sup>th</sup> Delhi Legislative Assembly on Wednesday, 04 December 2024 at 01.00 PM.

12. 04.34 PM **The Chair adjourned the House upto 11.00 AM on Wednesday, 04 December 2024.**

**Delhi**  
**29 November, 2024**

**Ranjeet Singh**  
**Secretary**

**विधान सभा**  
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**  
**समाचार भाग-1**  
**(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)**

**शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2024/अग्रहायण 08, 1946 (शक)**

**संख्या-73**

**11.16 बजे**

**श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

**राष्ट्रीय गीत (वन्दे मातरम्)**

1. 11.18 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का स्वागत किया तथा उनसे सदन की बैठकों के दौरान मर्यादा बनाये रखने का अनुरोध किया।
2. 11.18 बजे **निधन संबंधी उल्लेख :**  
सदन ने निम्नलिखित के प्रति श्रद्धांजलि दी :-
  1. दिनांक 09.10.2024 को प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतन टाटा के निधन के प्रति।
  2. जम्मू-कश्मीर तथा छत्तीसगढ़ में विभिन्न आतंकी/नक्सली हमलों में मारे गये सशस्त्र सेनाओं के जवानों एवं सुरक्षा कर्मियों तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति।
  3. मणिपुर में हिंसा में मृतकों के प्रति।सदन द्वारा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में दो मिनट का मौन धारण किया गया।
3. 11.22 बजे **अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था :**  
अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य सदस्यों से नियम-54 (ध्यानाकर्षण), नियम-55 (अल्पकालिक चर्चा) के नोटिस प्राप्त हुए हैं। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि सूचीबद्ध कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य को चर्चा के लिए नहीं लिया जायेगा।  
अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित किया कि जहां तक प्रश्न काल का संबंध है, प्रश्नों के लिए सदस्यों को कम से कम 12 स्पष्ट दिनों पहले नोटिस देना आवश्यक है। वर्तमान सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद निर्धारित न्यूनतम अवधि उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, राजस्व, गृह, सेवायें, भूमि एवं भवन, दिल्ली पुलिस तथा डी.डी.ए जैसे विभाग प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, जिससे प्रश्न काल की गरिमा को क्षति पहुंचती है।  
प्रतिपक्ष के सदस्य अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे और वे मांग करने लगे कि उनके द्वारा दिये गये नोटिसों को चर्चा के लिए लिया जाये।
4. 11.24 बजे **विशेष उल्लेख (नियम-280) :**  
अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम-280 के तहत उठाये जाने वाले मामलों को *पढ़ा हुआ माना जाये :-*

1 श्री राजेश ऋषि	6 श्री भूपेंद्र सिंह जून
2 श्री विजेंद्र गुप्ता	7 श्री जितेंद्र महाजन
3 श्री अजय महावर	8 श्री जय भगवान
4 श्रीमती बंदना कुमारी	9 श्री महेंद्र गोयल
5 श्री जरनैल सिंह	10 श्री ओम प्रकाश शर्मा

11.24 बजे : प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के विरोध में बहिर्गमन किया।
5. 11.25 बजे **सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात :**  
**श्रीमती आतिशी, माननीय मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत कीं :-**
  - i) दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का वर्ष 2022-23 हेतु नौवां वार्षिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी प्रति)

- ii) दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 हेतु वार्षिक लेखों पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित कृत्य कार्रवाई प्रतिवेदन (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति)
- iii) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति)
- iv) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (निर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने के लिए व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2023 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग-3) में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 11(2086)/डीईआरसी/2022-23/सी.एफ.नं० 7689/2430 दिनांक 01/03/2024 (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति)
- v) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नेट मीटरिंग) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग-3) में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3(629)/टैरिफ-इंजी/डीईआरसी/2020-21/6910/808 दिनांक 02/08/2024 (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति)
- vi) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत दुर्घटनाओं के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति) विनियम, 2024 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग-3) में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 17(293)/इंजी/डीईआरसी/2021-22/7147/745 दिनांक 25/07/2024 (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति)
- vii) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु फोरम और लोकपाल की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश) विनियमावली, 2024 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग-3) में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 11(2203)/डीईआरसी/2023-24/8014/533 दिनांक 24/06/2024 (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति)
- viii) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम और लोकपाल की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश) विनियम, 2024 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग-3) में जारी शुद्धिपत्र संख्या एफ. 11(2203)/डीईआरसी/2023-24/8014/997 दिनांक 03/09/2024 (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति)
- ix) इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) का वर्ष 2020-21 हेतु 20वां वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति)
- x) प्रगति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) का वर्ष 2020-21 हेतु 20वां वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति)
- xi) दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड (डीपीसीएल) के वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति)

6. 11.26 बजे **अल्पकालिक चर्चा (नियम-55) :**

**I. श्री कुलदीप कुमार,** माननीय सदस्य ने "दस हजार बस मार्शलों को हटाये जाने के कारण बसों में महिलाओं की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने" के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की।  
(11.33 बजे : प्रतिपक्ष के सदस्य एक-एक कर सदन में वापिस आ गये तथा अपना आसन ग्रहण किया।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री संजीव झा
2. श्री राजेश गुप्ता
3. श्री अभय वर्मा
4. श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर
5. श्री सोमनाथ भारती
6. श्रीमती राखी बिरला, माननीय उपाध्यक्ष
7. श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष

7. 01.07 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित किया।
8. 02.10 बजे सदन पुनः समवेत हुआ।  
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
9. 02.10 बजे अल्पकालिक चर्चा (नियम-55) जारी .....  
8. श्री सौरभ भारद्वाज, माननीय मंत्री  
श्रीमती आतिशी, माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।
10. 03.05 बजे अल्पकालिक चर्चा (नियम-55) :  
**II. श्री अजय दत्त, माननीय सदस्य** ने "दिल्ली पुलिस में कर्मचारियों की कमी तथा दिल्ली की सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण अपराध के बढ़ते ग्राफ" के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की।  
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-  
1. श्री जय भगवान  
2. श्री शिव चरण गोयल  
3. श्री अनिल कुमार बाजपेयी  
4. श्रीमती बंदना कुमारी  
5. श्री भूपेंद्र सिंह जून  
6. श्री सत्येंद्र जैन  
7. श्री मनीष सिसोदिया, पूर्व उप मुख्यमंत्री  
8. श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष
- 04.14 बजे :** सत्ता पक्ष के सदस्यों ने श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिये गये वक्तव्य पर आपत्ति प्रकट की।  
प्रतिपक्ष के सदस्य खड़े हो गये तथा शोर-शराबा करने लगे।  
अध्यक्ष महोदय ने श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों से आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया।  
तथापि, प्रतिपक्ष के सदस्यों ने तर्क-वितर्क जारी रखा, आसन ग्रहण करने से मना कर दिया तथा लगातार सदन की कार्यवाही को बाधित करने लगे।  
अध्यक्ष महोदय ने श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष को इंगित किया तथा मार्शलों को उन्हें सदन से बाहर ले जाने को कहा। प्रतिपक्ष के शेष सदस्यों ने विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।  
सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय से श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य को सदन की कार्यवाही से हटाने के लिए अनुरोध किया।  
अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य को सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाये।
9. श्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री
11. 04.33 बजे अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों को सूचित किया कि सातवीं विधानसभा के माननीय सदस्यों का समूह-चित्र बुधवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 को अपराह्न 1.00 बजे विधानसभा लॉन, डा. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के नजदीक लिया जायेगा।
12. 04.34 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन बुधवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित किया।